

सेवा में,

तुशिता रिट्रीट पब्लिक चैरीटेबल सोसायटी,
धर्मकोट, डा० मकलोडगंज, धर्मशाला, जिला कांगड़ा।

विषय: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 छ(5) के अधीन छूट।

कृपया अपने धारा 80 छ(5)(vi) में approval हेतु टायर आवेदन का अवलोकन करें।

2. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 छ(5)(1961 की 43) उक्त धारा में निहित सीमाओं एवं शर्तों के अधीन तुशिता रिट्रीट पब्लिक चैरीटेबल सोसायटी, धर्मकोट, डा० मकलोडगंज, धर्मशाला, जिला कांगड़ा को दिया गया दान दानकर्ता द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 छ (2)(a)(iv) के अन्तर्गत कर में छूट प्राप्त करने योग्य होगा।

3. यह अनुमोदन धारा 80 छ(5)(vi) के तहत दिनांक 3.7.2014 से वैध है।



हस्ता -
(रमेश चन्द)
आयकर आयुक्त,
शिमला, हि.प्र.।

नोट :

1. दान कर्ता द्वारा जारी की गई रसीदों पर इस आदेश की संख्या और तारीख अंकित होनी चाहिए तथा यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि यह प्रमाण पत्र उपरोक्त अवधि के लिए वैध है।
 2. संपरीक्षा रिपोर्ट, आय एवं व्यय व्यौरा, प्राप्ति एवं भुगतान व्यौरा और तुलन पत्र इत्यादि आयकर विवरणी समेत प्रतिवर्ष आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 में निहित अवधि के अन्दर आयकर अधिकारी, धर्मशाला को भेजा जाए।
 3. यदि संविधान में कोई संशोधन किया जाता है तो इस कार्यालय को तुरन्त सूचित किया जाए।
- प्रतिलिपि प्रेषित है :
1. सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, दिल्ली को सूचनार्थ।
 2. आयकर मुख्य आयुक्त, हि. प्र. क्षेत्र, शिमला को सूचनार्थ।
 3. आयकर संयुक्त आयुक्त, पालमपुर रेंज, पालनपुर।
 4. आयकर अधिकारी, धर्मशाला को। वह आवेदक द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरण की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि आवेदक/निर्धारित धारा 80 छ में दी गई शर्तों एवं बोर्ड द्वारा सनय-समय पर जारी अनुदेशों को पालन कर रहा है या नहीं।
 5. आवेदक को (पंजीकृत डाक द्वारा)।

हस्ता -
(रमेश चन्द)
आयकर आयुक्त,
शिमला, हि.प्र.।